42

**परियोजना का नाम-** देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के IDPL (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में पूर्व से चल रहे केंद्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

Form –II

(for Project other than nonlinear projects)

**Government of Uttrakhand** **Office of the District Collector, Dehradun**

**No:-** Date:- 10/1/19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), GOI letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act , 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose. It is certified the 2.41 hec of forest land proposed to be diverted in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan , New Delhi for Construction of New Kendriya Vidyalaya Rishikesh building , Rishikesh, Dehradun (purpose for diversion of forest land ) in Virbhadra block no – 1 , Dehradun District falls within Jurisdiction of Forest Department Dehradun , Rishikesh Tahsils.

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.41 hec of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s) sub – division level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....................... to annexure...........................

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular /local language ) have been placed before each concerned Garm Sabha of Forest Dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Garm Sabha (s), has certified that all formalities / processed under the FRA has been carried out, and that they have their consent uto the proposed and the compensation and ameliorative measures , if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy certificate issued by the gram sabha of ................................ is enclosed as annexure to annexure.........................

(d) The discussion decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha Present.

(e) The diversion of the forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre – Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above

**(S A Murugesan)**

**District Collector, Dehradun**

जिलाधिकारी
देहरादून

41

**परियोजना का नाम-** देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के IDPL (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में पूर्व से चल रहे केंद्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

# DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under Schedule tribe and other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA)-2006**

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr. S. A. Murugesan (I.A.S) District collector , Dehradun at Dehradun in which application claiming rights in IDPL , Virbhadra , Rishikesh area measuring **2.41** hec for ऋषिकेश में IDPL (वीरभद्र) परिसर में संचालित केंद्रीय विद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव District – Dehradun by Principal , Kendriya Vidyalaya , Rishikesh, Dist:- Dehradun forest land under FRA , 2006 of the following application duly processed and recommended by the Sub divisional level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection / claims were to have been & hence District Level Committee recommends the above case for diversion of the land for the same purpose.

Place: Dehradun

Dated: 10/1/19

District Collector –Cum-Chairman

District Level Committee

जिलाधिकारी

देहरादून

**परियोजना का नाम-** देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के IDPL (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में पूर्व से चल रहे केंद्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

It is further certified that – Minutes of Meeting of ऋषिकेश के IDPL (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में पूर्व से चल रहे केंद्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव scheme regarding is as following

| S.N | | Remark |
|---|---|---|
| (a) | He complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **2.41** hec of forest area proposed for diversion.A copy of records of all consultations and meeting of the forest Right committee(s) , sub division level | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and others traditional forest Dwellers . |
| (b) | The Diversion of the forest land for facilities managed by the goverment as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Nagar Palika Parishad given consent to it. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers . |
| (c) | The Proposal does not involve recognized rights primitive tribal groups and pre – agricultural communities. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribe and other traditional Forest Dwellers. |

जिला पंचायत सदस्य

वीरपुर खुर्द

सदस्य जिला पंचायत

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

विकास खण्ड डोईवाला देहरादून उत्तराखण्ड

देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून वन प्रभाग

देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी

ऋषिकेश वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी

ऋषिकेश रेंज

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

जिलाधिकारी

देहरादन

जिलाधिकारी

देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी

ऋषिकेश

देहरादून वन प्रभाग देहरादून

प्राचार्य Principal

के वि ऋषिकेश K.V Rishikesh

**परियोजना का नाम-** देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के **IDPL** (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में पूर्व से चल रहे केंद्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।



**प्रारूप -26**

कार्यालय उप जिलाधिकारी

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम** 2006 **के तहत प्रमाण-पत्र**

उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति

उपखंड वीरभद्र कक्ष संख्या 1 परिक्षेत्र के अन्तर्गत **2.4 हे0** आरक्षित वन भूमि, केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, **2006** के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति ऋषिकेश की दिनांक 13/12/18 को संपन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम **2006** एवं नियम **2008** के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक द्वारा श्री प्रेम लाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की सूची निम्नानुसार है।

| | | |
|---|---|---|
| **1-** श्री प्रेम लाल | उपजिलाधिकारी | (अध्यक्ष) |
| **2-** श्री आर. पी. एस. नेगी | वन क्षेत्राधिकारी | ( उपखंड सचिव ) |
| **3-** श्री महेश प्रताप सिंह | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | (सदस्य) |
| **4-** श्री राजेश राइटर | बी0डी0सी0 क्षेत्र | (सदस्य) |

उप जिलाधिकारी ऋषिकेश

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नवीन भवन निर्माण हेतु 2.4 हे0 वन भूमि केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित वन क्षेत्राधिकारी , श्री आर. पी एस. नेगी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम **2006** एवं तत्सम्बंधी नियम **2008** के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, **2006** के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से वन खंड वीरभद्र (कक्ष संख्या 1) परिक्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नवीन भवन निर्माण हेतु 2.4 हे**0** वन भूमि केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ऋषिकेश

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष

**परियोजना का नाम-** देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के **IDPL** (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में पूर्व से चल केंद्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

## प्रारूप - 24

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- वीरपुर खुर्द

न्याय पंचायत :- श्यामपुर

डोईवाला ब्लॉक

जिला :- देहरादून

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में IDPL (वीरभद्र) परिसर में संचालित केंद्रीय विद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव परियोजना के निर्माण हेतु 2.4 हे0 आरक्षित वन भूमि केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **वीरपुर खुर्द** द्वारा दिनांक 12/11/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत वीरपुर खुर्द के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जो की **वीरभद्र कक्ष संख्या – 1** में अवस्थित है , केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के पुराने भवन के जगह पर नवीन भवन के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

पंचायत वीरपुर खुर्द, विकास खण्ड डोईवाला, जिला देहरादून
ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत वीरपुर खुर्द
वि० ख० डोईवाला, देहरादून
ह0/-
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम- देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के **IDPL** (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में पूर्व से चल केंद्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

**प्रारूप - 25**

दिनांक 12/11/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम :- वीरपुर खुर्द

न्याय पंचायत :- श्यामपुर

डोईवाला ब्लॉक

जिला :- देहरादून

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1. | श्री विनोद कुमार मिश्रा | विनोद |
| 2. | " सज्जन सिंह | सज्जन सिंह |
| 3. | " सुनील कुमार | सुनील कुमार |
| 4. | " रवीन्द्र कुमार | रविन्द्र कुमार |
| 5. | " सचिन | सचिन |
| 6. | " राजबीर | राजबीर |
| 7. | " जोगेन्द्र | जोगेन्द्र |
| 8. | " रवि कुमार | रवी |
| 9. | " संजय [illegible] | संजय |
| 10. | " रामबीर | रामबीर |
| 11. | श्रीमती ममता [illegible] | ममता |
| 12. | श्रीमती कुलेश [illegible] | कुलेश |

प्रधान ग्राम पंचायत वीरपुर खुर्द
वि० ख० डोईवाला, देहरादून (उ० ख०)

ह० / -

ग्रामप्रधान